राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	महेन्द्र कुमार बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/06/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | पैरोकार सरकार उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोन्ट की ओर से एक वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आराजी खसरा नम्बर 127, 128, 580 कुल किता 3 कुल रकबा 0.8200 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 वाके ग्राम मुण्डिया खुर्द, पटवार मण्डल श्रीनिवासपुरा उर्फ थूणी, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जयपुर में उनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर बनाम महेन्द्र कुमार प्रस्तुत कर उक्त भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये आवासीय काय हेतु प्रयोग कर अकृषि उपयोग किये जाने की रिपोर्ट व तथ्य अंकित करते हुये पेश किया जाकर उक्त खसरा नम्बरो की भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाकर उक्त खसरा नम्बरान रकबा सिवायचक सरकार घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जेराज लेने का अनुतोष चाहा गया | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09/07/2018 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि को सिवायचक भूमि घोषित किये जाने के आदेश पारित किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो क़ानूनी प्रावधानों के विपरित प्रकट होता है | कानूनन प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना नितान्त आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देरी से होने के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर होते हैं | अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं साथ ही प्रकरण	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	महेन्द्र कुमार बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	506/2024	

अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर पुन: विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/07/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर बाद सुनवाई अपीलार्थी सहित शेष पक्षकारान विधिसम्मत निर्णय पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर